

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.02.2026

जनपद चन्दौली

जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 02 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधी के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 02 आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं तथा इस अपराधी को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई जनपद चन्दौली की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन पुलिस द्वारा किया जायेगा। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

थाना कन्दवा-

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता- विकास बिन्द उर्फ अश्विनी पुत्र सुदर्शन बिन्द निवासी ग्राम कन्दवा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र लगभग 24 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1 मु0अ0सं0-33/25 धारा 115(2), 351(2),352, 333 बीएनएस थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
- 2 मु0अ0सं- 44/25 धारा 331(4),351(2), 352 बीएनएस व 3(1) द,ध एसी/एसटी एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
- 3.मु0अ0सं- 187/25 धारा 110,115(2), 126(2), 191(3), 351(3),61(2) बीएनएस थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।
- 4.मु0अ0सं0-295/22 धारा 363,366,376 भादवि व 5एल,6 पाक्सो एक्ट थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।
- 5.मु0अ0सं0-1/25 धारा 129 बीएनएस थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

थाना इलिया-

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता- चन्द्रशेखर उर्फ पिन्टू चौहान पुत्र रामप्रकाश उर्फ रेवडी तौहान
निवासी ग्रम डेहरी खुर्द थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र लगभग 28 वर्ष।

जिला बदर अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 88/16 धारा 457,511 भादवि थाना इलिया जनपद चन्दौली।
2. मु०अ०सं०- 70/18 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना इलिया जनपद चन्दौली।
3. मु०अ०सं०- 36/19 धारा 60 आबकारी अधि० थाना इलिया जनपद चन्दौली।
4. मु०अ०सं०- 67/20 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना इलिया जनपद चन्दौली।
5. मु०अ०सं०- 43/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली।
6. मु०अ०सं०- 143/23 धारा 411,414,419,420 भादवि व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली।
7. बीट सूचना रपट नं०-53 दिनांक 19.05.2025
8. जांच बीट सूचना रपट नं०-16 दिनांक 20.05.2025।

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

◆ थाना बलुआ पुलिस द्वारा 04.745 किलोग्राम प्रतिबंधित चायनीज/नायलान मांझा की बरामदगी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगहे द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रतिबंधित चाइनीज/नायलान मांझा के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन चक्रव्यूह के तहत थानाध्यक्ष बलुआ अतुल कुमार के नेतृत्व में व0उ0नि0 अनंत कुमार भार्गव मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 07.02.2026 को समय करीब 21.10 बजे ग्राम खण्डवारी चहनिया में स्थित न्यू जय माँ काली 99 प्लास्टिक व जनरल स्टोर से 04.745 किलोग्राम प्रतिबंधित चाइनीज/नायलान मांझा की बरामदगी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रामाश्रय कुमार पुत्र पन्नालाल कुशवाहा निवासी ग्राम रमौली थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 32 वर्ष के रूप में हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/2026 धारा 293/125/223 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ अभियुक्त:- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि इसी मौसम में चाइनीज/नायलान मंझा बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल जाता है इसी वजह से मैं इसे बेचता हूँ यह चाइनीज मांझा एक व्यक्ति वाराणसी से आकर दे जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामाश्रय कुमार पुत्र पन्नालाल कुशवाहा निवासी ग्राम रमौली थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास अभियुक्त-

मु0अ0सं0 33/2026 धारा 293/125/223 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 1986

गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान व समय-

गिरफ्तारी का स्थान – न्यू जय माँ काली 99 प्लास्टिक व जनरल स्टोर ग्राम खण्डवारी चहनिया थाना बलुआ चन्दौली

गिरफ्तारी का दिनांक 07.02.2026 समय – 21.10 बजे सम

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. व0उ0नि0 अनंत कुमार भार्गव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3. उ०नि० जमीलुद्दीन खान थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. उ०नि० रामबिहारी सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली
5. उ०नि० अमरनाथ साहनी थाना बलुआ जनपद चन्दौली
6. का० अनुज कुमार वर्मा थाना बलुआ जनपद चन्दौली
7. का० कृपाशंकर राय थाना बलुआ जनपद चन्दौली